

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 534/संसवि/बैंक/ 2014

रायपुर, दिनांक 26/09/2014

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
.....विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :- राज्य शासन के अधीन निगमों/निकायों/मण्डलों/संस्थाओं (Societies) के अतिरिक्त राशि को वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने बाबत - पात्र बैंकों की सूची।
संदर्भ :- संचालनालय संस्थागत वित्त का पत्र क्र. 433/संसवि/बैंक/2014, दिनांक 05 अगस्त 2014।

---:---

विषयांतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासकीय जमा हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को भी पात्र बैंकों की सूची में सम्मिलित किया गया है।

2. कृपया संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें। इस तारतम्य में आपको सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासकीय जमा हेतु पात्र बैंकों की सूची संस्थाओं (Societies) की अतिरिक्त राशि को वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने हेतु भी लागू है।

आकाश सोलंकी

(आकाश सोलंकी)
संयुक्त सचिव
छ.ग. शासन, वित्त विभाग